

हद्वि उत्तराधकार अधनियिम के तहत ST महिलाएँ संपत्तिके अधकार से वंचति

प्रलिमिस के लयि:

अनुसूचति जनजाति, हद्वि उत्तराधकार संशोधन अधनियिम, 2005, संवधिान का अनुच्छेद 14, हद्वि कानून का मतिाक्षरा स्कूल, भारत में वरिसत अधकार

मेन्स के लयि:

भारत में महिलाओं से संबंधति मुद्द

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार इस बात की जाँच कर रही है कि हद्वि उत्तराधकार अधनियिम के तहत अधसूचना जारी की जाए या नहीं, ताकि अनुसूचति जनजाति (ST) की महिलाओं के लयि लाभकारी प्रावधान लागू कयि जा सके, जो हद्वि धर्म को मानती हैं, ताकि उन्हें पति/हद्वि अवभाजति परिवार (Hindu Undivided Family- HUF) की संपत्तियों में समान हसिसा प्राप्त करने में सकषम बनाया जा सके।

उत्तराधकार अधकारों से संबंधति प्रमुख मुद्दे:

- अधनियिम से बहषिकरण:
 - हद्वि धर्म को मानने वाली अनुसूचति जनजाति की महिलाओं को हद्वि उत्तराधकार अधनियिम, 1956 के लाभकारी प्रावधानों से बाहर रखा गया है।
 - यह बहषिकरण उन्हें अन्य हद्वि समुदायों की महिलाओं की तुलना में पैतृक संपत्तिके उत्तराधकार के समान अधकारों से वंचति करता है।
- समान वरिसत अधकारों से इनकार:
 - बहषिकरण के कारण ST महिलाएँ अपने पति या हद्वि अवभाजति परिवार (HUF) की संपत्ति में समान हसिसे की हकदार नहीं हैं।
 - वरिसत के अधकारों में यह असमानता लैंगकि असमानताओं को कायम रखती है और ST महिलाओं के वत्ततीय सशक्तीकरण को बाधति करती है।
- जनजातीय पहचान के आधार पर भेदभाव:
 - हद्वि धर्म को मानने वाली ST महिलाओं को समान वरिसत के अधकार से वंचति करना उनकी आदविसी पहचान के आधार पर भेदभाव का एक रूप है।
 - यह भारतीय संवधिान में प्रतषिठापति समानता और गैर-भेदभाव के सदिधांतों का खंडन करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिदेश:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कमला नेती बनाम वशिष भूमि अधग्रहण अधकारि और अन्य के मामले में केंद्र सरकार को यह जाँच करने का नरिदेश दयि कि कयि हद्वि उत्तराधकार अधनियिम के तहत अनुसूचति जनजातियों के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में प्रदान की गई छूट को वापस लेने के लयि संशोधन आवश्यक है।

हद्वि उत्तराधकार अधनियिम, 1956:

- परचिय:
 - हद्वि कानून के मतिाक्षरा स्कूल को हद्वि उत्तराधकार अधनियिम, 1956 के रूप में संहतिबद्ध कयि गया था। यह कानून उत्तराधकार और संपत्तिके उत्तराधकार को नयितरति करता था लेकिन कानूनी उत्तराधकारि के रूप में केवल पुरुषों को ही मान्यता दी जाती थी।
- प्रयोज्यता:
 - यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुसलमि, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं।
 - इस कानून के लयि बौद्ध, सखि, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायी भी हद्वि माने जाते हैं।
 - परंपरागत रूप से सामान्य पूर्वजों में केवल पुरुष वंशजों के साथ-साथ उनकी माताओं, पत्नियों और अवविहति बेटियों को एक संयुक्त हद्वि परिवार माना जाता है। कानूनी उत्तराधकारि संयुक्त रूप से पारवारिक संपत्ति रखते हैं।

■ **हद्द उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005:**

- वर्ष 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया था और महिलाओं को वर्ष 2005 सेसंपत्ति के वंशानुक्रम के लिये सहदायिकी के रूप में मान्यता दी गई थी।
- इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था ताकि एक सहदायिकी की पुत्री को "उसके अपने अधिकार में पुत्र के रूप में" भी जन्म से सहदायिकी बनाया जा सके।
- इसने पुत्री को "सहदायिकी संपत्ति में" समान अधिकार और देनदारियाँ भी दी क्योंकि यदि वह पुत्र होता तो उसे मलिका।
- यह कानून पैतृक संपत्ति पर लागू होता है और उत्तराधिकार को व्यक्तिगत संपत्ति की वसीयत से बाहर करता है क्योंकि इसमें उत्तराधिकार कानून के अनुसार होगा, न कि वसीयत के माध्यम से।

■ **क्लास I वारिस:**

- यह अधिनियम रशितेदारों को उत्तराधिकारियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करता है।
- क्लास I के वारिसों में **मृतक के बच्चे, पोते और उनकी माताएँ शामिल हैं।**
- क्लास I के वारिसों की अनुपस्थिति में संपत्तिक्लास II के वारिसों को दी जाती है जिसमें पति, पुत्र की पुत्री का पुत्र, भाई, बहन, पति की वधवा; भाई की वधवा आदि।

■ **वसीयतनामा उत्तराधिकार:**

- यह अधिनियम वसीयत के उत्तराधिकार को भी मान्यता देता है, जहाँ एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को एक वैध वसीयत के माध्यम से बेच या स्थानांतरित कर सकता है।
- कुछ प्रतिबंधों और कानूनी आवश्यकताओं को छोड़कर, व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति वितरित करने की स्वतंत्रता है।

■ **वधवाओं के अधिकार:**

- अधिनियम वधवाओं के अधिकारों को उनके मृत पतियों से संपत्ति प्राप्त करने के लिये मान्यता देता है।
- एक वधवा का अपने पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ हिस्सा होता है।

संपत्ति विरासत के बारे में हद्द कानून के स्कूल क्या कहते हैं?

हद्द वधियों के प्रकार	
मत्तिकाक्षरा कानून	दायभाग कानून
मत्तिकाक्षरा शब्द याज्ञवल्क्य स्मृति पर वज्रिजानेश्वर द्वारा लिखी गई एक टिपिणी के नाम से लिया गया है।	दायभाग शब्द जमुितवाहन द्वारा लिखित इसी तरह के नाम वाले पाठ से लिया गया है।
इसका अनुसरण भारत के सभी भागों में किया जाता है और बनारस, मथिला, महाराष्ट्र और दरवड़ि स्कूलों में वंशानुक्रम है।	इसका अनुसरण बंगाल और असम में किया जाता है।
एक पुत्र जन्म से ही संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में हति प्राप्त कर लेता है।	एक पुत्र के पास जन्म से स्वतः स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन वह इसे अपने पति की मृत्यु पर प्राप्त करता है।
एक सहदायिकी का हिस्सा परभाषित नहीं है और इसका नपिटान नहीं किया जा सकता है।	प्रत्येक सहदायिकी का हिस्सा परभाषित किया गया है और उसका नपिटान किया जा सकता है।
एक पत्नी बँटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकिन उसे अपने पति और बेटों के बीच किसी भी बँटवारे में हिस्सेदारी का अधिकार है।	यहाँ महिलाओं के लिये समान अधिकार मौजूद नहीं है क्योंकि बेटे वंशानुक्रम की मांग नहीं कर सकते क्योंकि पति पूर्ण मालिक है।
सभी सदस्य पति के जीवनकाल के दौरान सहदायिकी अधिकार प्राप्त करते हैं।	पति के जीवित रहने पर पुत्रों को सहदायिकी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2021)

1. मत्तिकाक्षरा ऊँची जात की सविलि वधि थी और दायभाग निम्न जात की सविलि वधि थी।
2. मत्तिकाक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पति के जीवनकाल में संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पति की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे।
3. मत्तिकाक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति से संबंधित मामलों पर वधिार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों, दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर वधिार करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- कषेत्रों को नरूपति करने हेतु मतिाक्षरा और दायभाग शब्दों का प्रयोग कया जाता था । यह जातव्यवस्था से संबंधति नहीं है |अतः कथन 1 सही नहीं है ।
- दायभाग और मतिाक्षरा के बीच का अंतर उनके मूल वचिर में है । दायभाग कसिी को अपने पूरवजों की मृत्यु से पहले संपत्तिका अधकार नहीं देता है, जबकमतिाक्षरा कसिी को भी उनके जन्म के तुरंत बाद संपत्तिका अधकार देता है । अतः कथन 2 सही है ।
- दायभाग व्यवस्था पश्चमि बंगाल में प्रचलति है और परवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों को सहदायकि होने की अनुमतति देती है । दूसरी ओर मतिाक्षरा व्यवस्था, पश्चमि बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलति है एवं केवल पुरुष सदस्यों को सहदायकि होने की अनुमतति देती है |अतः कथन 3 सही नहीं है ।
- अतः वकिलप (b) सही है ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/denied-property-rights-to-st-women-under-hindu-succession-act>

